



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 कार्तिक 1943 (श10)

(सं0 पटना 887) पटना, वृहस्पतिवार, 28 अक्टूबर 2021

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

27 अक्टूबर 2021

1.E 01/प्रा0आ0(बाढ़)-16/2021-4376/आ0प्र0—कृषि विभाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वर्ष 2021 में अतिवृष्टि के कारण फसल नहीं लगाए जाने के फलस्वरूप राज्य अन्तर्गत जिलों के कृषि प्रखण्डों/पंचायतों में कुल रकबा 141227.71 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि परती रह गयी। कृषि योग्य भूमि में फसल नहीं लगने के कारण कृषकों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विभाग, बिहार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार इस हेतु ₹96.03 करोड़ (छियानवे करोड़ तीन लाख रुपये) की आवश्यकता होगी।

2. उल्लेखनीय है कि राज्य आपदा रिस्पांस कोष (SDRF) के साहाय्य मानदर के प्रावधान के आलोक में प्राकृतिक आपदा के कारण फसलक्षति 33% या उससे अधिक होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी अनुमान्य है। परन्तु प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़ आदि के कारण फसल नहीं लगाए जाने के कारण भूमि परती रह जाने की स्थिति में क्षति हेतु कृषकों को साहाय्य मानदर के अनुरूप कृषि इनपुट सब्सिडी अनुमान्य नहीं है।

3. अतएव राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्ष 2021 में अतिवृष्टि के कारण फसल नहीं लगाए जाने के आलोक में परती भूमि हेतु कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-114-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) के अन्तर्गत jkT; l:lk/ku से की जाएगी।

4. कृषकों को परती भूमि हेतु कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान राज्य आपदा रिस्पांस कोष (SDRF) के साहाय्य मानदर में निर्धारित दर के अनुरूप की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से]
,e0 jkepUnM]
vij lfp0A

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 887-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>